

**INVEST WITH
NATIONAL SAVINGS
BE PARTNER OF NATION
BUILDING PROCESS**

For further details Please Contact:

- Post office
- Authorised agents
- Regional Director, National Savings Institute
- Collector or Dy. Commissioner
- Commissioner / Director Small Savings of State Governments



NATIONAL SAVINGS INSTITUTE

Deptt. of Economic Affairs
Ministry of Finance, Government of India
C.G.O. Complex, Seminary Hills, Nagpur-440 006
Ph. 0712-2510947, 2510057

Regional Centres:

Delhi	011-23237154	Guwahati	0361-2450434
Bengaluru	080-25537105	Mumbai	022-22661812
Nagpur	0712-2511667	Chandigarh	0172-2742798
Jaipur	0141-2740443	Chennai	044-24916342
Lucknow	0522-2329067	Kolkata	033-22870591



सुकन्या समृद्धि खाता

समृद्ध बालिका देश का भविष्य



**बेटी है जहां, खुशियां हैं वहां
सुकन्या समृद्धि खाता खुलवायें
घर-घर में खुशहाली लायें**

विरत जानकारी के लिए सम्पर्क करें :
क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय, राष्ट्रीय बचत
अल्प बचत निदेशालय/जिला उपायुक्त/आकघर/बैंक



राष्ट्रीय बचत संस्थान

आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
चौथा तल, 'ए' विंग, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, सेमीनारी हिल्स, नागपुर-440006
वेबसाइट : www.nsiindia.gov.in

सुकन्या समृद्धि खाते की मुख्य विशेषताएं

1. 10 वर्ष की आयु होने से पूर्व बालिका के नाम से खाता खोला जा सकता है।
2. बालिका के नाम से केवल एक खाता खोला जा सकता है।
3. खाता किसी भी डाकघर या व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं में खोला जा सकता है।
4. खाता खोलने के लिए जन्म प्रमाण पत्र जमा कराया जाना आवश्यक है।
5. खाता न्यूनतम 1000 रुपये से खोला जा सकता है। उसके पश्चात 100 रुपये के गुणको में रकम जमा की जा सकती है। एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम रुपये 1000 जमा करना आवश्यक।
6. एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रुपये 150000 जमा किये जा सकते हैं।
7. सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर से चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज खाते में देय।
8. खाता धारक के 18 वर्षीय होने पर शिक्षा/विवाह संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के शेष का 50 प्रतिशत राशि निकाली जा सकती है।
9. खाता भारत में कहीं भी एक डाकघर/बैंक से दूसरे डाकघर/बैंक में हस्तांतरण किया जा सकता है।
10. खाता खोले जाने की तिथि से 21 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात खाता परिपक्व हो जाता है।

SALIENT FEATURES OF SUKANYA SAMRIDDHI ACCOUNT

1. Account can be opened in the name of a girl child till she attains the age of 10 years.
2. Only one account can be opened in the name of a girl child.
3. Account can be opened in Post offices and notified branches of commercial banks.
4. Birth certificate of the girl child in whose name the account is opened must be submitted.
5. Account can be opened with a minimum of Rs.1000/- and thereafter any amount in multiple of Rs.100/- can be deposited. A minimum of Rs.1000/- must be deposited in a financial year.
6. Interest @ as may be notified by the government from time to time will be calculated on yearly compounded basis and credited to the account.
7. Maximum Rs.1,50,000/- can be deposited in a Financial year.
8. One withdrawal shall be allowed on attaining the age of 18 years of account holder to meet education/marriage expenses at the rate of 50% of the balance at the credit of preceding financial year.
9. The account can be transferred anywhere in India from one Post office/Bank to another.
10. The account shall mature on completion of 21 years from the date of opening of account.